विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 1 अगस्त, 2008 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सताईसवीं (27वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 1 अगस्त, 2008 को मध्याहन 2.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

मद संख्या 1 : गोवा में औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के निरसन से संबंधित मुद्दा :

अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने सूचित किया कि विकासकों तथा राज्य सरकार के साथ मामले पर चर्चा की जा रही है ताकि कोई स्वीकार्य समाधान निकल सके। इसे ध्यान में रखते हुए मद आस्थगित कर दी गई।

सारणी एजेंडा

मद : शास्त्री पार्क में डीएमआरसी के आईटी पार्क को एसटीपीआई से एसईजेड में परिवर्तित करने से संबंधित मुद्दा :

विकासक को मामला प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। विकासक ने बताया कि ब्लाक 1 जहां मौजूदा यूनिटें हैं, को एसईजेड से बाहर किया जाएगा तथा प्रवेश एवं निकास के अलग बिंदु प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि शेष क्षेत्र को अधिसूचित किया जा सकता है। उन्होंने पुष्टि की कि एसईजेड की चारदीवारी से ब्लाक 1 को पूरी तरह सीमांकित किया जाएगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ब्लाक 2 और 3 में कोई मौजूदा यूनिट नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड एसईजेड क्षेत्र से एसटीपीआई की मौजूदा यूनिटों वाले ब्लाक 1 को बाहर करने के बाद एसईजेड को अधिसूचित करने के लिए सहमत हुआ तथा यह शर्त रखी गई कि उसे चारदीवारी द्वारा पूर्णत: सीमांकित किया जाएगा और प्रवेश / निकास के लिए अलग फाटक उपलब्ध कराए जाएंगे।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. कडुगोंदी औद्योगिक क्षेत्र, कडुगोंडी वृक्षारोपण ग्राम, बिदराहल्ली होबली, बैंगलोर पूर्व तालुक, कर्नाटक में 23.471 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स कॉनकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कडुगोंदी औद्योगिक क्षेत्र, कडुगोंडी वृक्षारोपण ग्राम,

बिदराहल्ली होबली, बैंगलोर पूर्व तालुक, कर्नाटक में 23.471 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कॉनकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोल्डन टॉवर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. तिरुपाल्या एवं मारागोंडनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में 10.265 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हीबे इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तिरुपाल्या एवं मारागोंडनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में 10.265 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हीबे इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. कोलथुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जैविक ई लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक iv) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, बताया गया कि एपीआईआईसी ने 1.619 हेक्टेयर भूमि के लिए अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोलथुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जैविक ई लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन तथा इस शर्त के अधीन भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया

कि एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत किया जाएगा।

5. सर्वे नंबर 17-19 (भाग), मौजे पूनावाले गांव, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 17-19 (भाग), मौजे पूनावाले गांव, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. भांगीर, नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने भांगीर, नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एटीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एटीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हासन विकास केंद्र, तालुक एवं जिला हासन, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हासन विकास केंद्र, तालुक एवं जिला हासन, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ओप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सीबीएस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। नोट किया गया कि परियोजना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि एसईजेड के रूप में विकसित किए जाने वाले क्षेत्र में एक मंदिर है और मंदिर का क्षेत्रफल निकालने के बाद भी प्रस्तावित एसईजेड का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सीबीएस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित एसईजेड से मंदिर क्षेत्र को बाहर करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. गुडुर गाँव, कंडुकुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी और आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स S2tech.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 12):

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुडुर गाँव, कंडुकुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स S2tech.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी और आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. शंकरपल्ली गाँव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शंकरपल्ली गाँव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,

आंध्र प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्राम भामासरा, तालुक बवला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 109.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम भामासरा, तालुक बवला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 109.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. ग्राम बदराबाद, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 16.1866 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गौरीनंदन प्रापर्टी होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बदराबाद, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 16.1866 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गौरीनंदन प्रापर्टी होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. पाटनचेरु ग्राम एवं मंडल, संगारेड्डी तालुक, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 13.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 17) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि भूमि खाली है और उस पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पाटनचेरु ग्राम एवं मंडल, संगारेड्डी तालुक, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 13.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गोदरेज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. वेमाली ग्राम, वडोदरा तालुक, वडोदरा जिला, गुजरात में 13.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 22) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वेमाली ग्राम, वडोदरा तालुक, वडोदरा जिला, गुजरात में 13.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 13.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 23) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 13.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. ब्लॉक 19, पुरक्काड गांव, अंबालपुझा तालुक, अलपुझा जिला, केरल में 13.4415 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 24) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ब्लॉक 19, पुरक्काड गांव, अंबालपुझा तालुक, अलपुझा जिला, केरल में 13.4415 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. पल्लीपुरम गांव, चेरतलै तालुक, अलपुझा जिला, केरल में 24.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 25) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पल्लीपुरम गांव, चेरतलै तालुक, अलपुझा जिला, केरल में 24.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. चीमेनी गांव, होसदुर्ग तालुक, कासरगोड जिला, केरल में 40.40.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 26) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चीमेनी गांव, होसदुर्ग तालुक, कासरगोड जिला, केरल में 40.40.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. एरामम गांव, तलीपराम्बू तालुक, कन्नूर जिला, केरल में 10.37.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 27) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एरामम गांव, तलीपराम्बू तालुक, कन्नूर जिला, केरल में 10.37.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. नया नंबर 51 (पुराना नंबर 138), ग्राम शोलिंगनल्लूर, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 16.187 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएसआरके होल्डिंग (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 29) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नया नंबर 51 (पुराना नंबर 138), ग्राम शोलिंगनल्लूर,

टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु 16.187 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएसआरके होल्डिंग (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. सर्वे नंबर 492, 504, 505(1), 505 (2), 506, ग्राम शिकारा, भचाऊ तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में 11.63.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 30) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 492, 504, 505(1), 505 (2), 506, ग्राम शिकारा, भचाऊ तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में 11.63.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स यूरो मल्टीविजन लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

23. पुणे, महाराष्ट्र में 126.60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स टाउनशिप डवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और पुणे, महाराष्ट्र में 126.60 में मैसर्स टाउनशिप डवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. भानपुर कला, खरगरा नंबर 281-291, दिल्ली जयपुर रोड, एनएच-8, राजस्थान में 205 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए मैसर्स पीएस एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने भानपुर कला, खरगरा नंबर 281-291, दिल्ली जयपुर रोड, एनएच-8, राजस्थान में

205 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स पीएस एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. डेनकनिकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट / एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 10) :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित भूमि पर एक हवाई पट्टी और हैंगर मौजूद हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि मौजूदा हवाई पट्टी / हैंगर को एसईजेड क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डेनकनिकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट / एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय की स्वीकृति तथा इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि मौजूदा हवाई पट्टी / हैंगर प्रस्तावित एसईजेड में शामिल नहीं होने चहिए।

3. ग्राम वल्लूर और एडायांचवाडी, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 42.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 19) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वल्लूर और एडायांचवाडी, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 42.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सिगरुन मेगाप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 20) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सिगरुन

मेगाप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सिगरुन मेगाप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 21) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सिगरुन मेगाप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6 पचमा (अब्दुल्लापुर), जिला सिहोर, मध्य प्रदेश में 1010 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 31) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पचमा (अब्दुल्लापुर), जिला सिहोर, मध्य प्रदेश में 1010 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. संथाल जंक्शन, फतेहवाड़ी कैनाल के पास, तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स माइरोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कब्जा के संबंध में स्पष्टता नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार की सिफारिश में उक्त प्रस्तावित एसईजेड का दूसरे एसईजेड में विलय करने की बात की गई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम शणमुघापुरम, मेलामरधुर और दुरैस्वमीपुरम, तूतुकुडी जिला, तमिलनाडु में 109.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स भूमाजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 18) :

राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने भी अभी तक सुरक्षा स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव निवल न्यूनतम मूल्य / निवेश की कसौटी को पूरा नहीं करता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डी एस कुलकर्णी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि की सन्निकटता और रिक्तता के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. गोरई - मनोरी - उत्तान क्षेत्र, मुबई, महाराष्ट्र में 358.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्सेल इनफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में पैन इंडिया प्रयत्न लिमिटेड) द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 2) :

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय

1. सर्वे नंबर 229-232, गगन पहाड़, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में 10.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मधुशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित साइट पर दो औद्योगिक यूनिटें चल रही हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड क्षेत्र से एक सड़क के गुजरने के कारण सन्निकटता की शर्त से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध अपेक्षित है। विकासक की बात सुनने तथा विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जाने वाले बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) विकासक संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समर्पित सुरक्षा फाटकों / ओवर ब्रिज / अंडर पास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा तथा 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंक फेंसिंग जिसके शीर्ष 0.6 मीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी, के साथ रोड के दोनों ओर फेंसिंग भी करेगा।

(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) किसी यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

मद संख्या 5 : नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (अंबाला) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

(ii) मैसर्स पार्श्वनाथ नालेज पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) मैसर्स पार्श्वनाथ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iv) मैसर्स आरबीएन एसईजेड कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स आरबीएन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) मैसर्स विंडसम प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

(vii) मैसर्स सांसा (इंडिया) एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स सांसा इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

(viii) नाम परिवर्तित करके मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
(ix) मैसर्स एसपीएल इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड का अनुरोध
(x) मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विस्तृत विचार विमर्श के बाद ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया क्योंकि इस मुद्दे पर सीबीडीटी से संदर्भ प्राप्त हुआ था। तद्नुसार, उपर्युक्त प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 6 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता बनाए रखने तथा बाहर किए गए सर्वे नंबर पर कोई कर लाभ / रियायत प्राप्त न करने की शर्त के अधीन अनुमोदित / अधिसूचित क्षेत्र से एक सर्वे नंबर को बाहर करने तथा 5 सर्वे नंबर को शामिल करने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे कुल क्षेत्रफल 10-93-72 हेक्टेयर हो जाएगा। यदि बाहर किए जाने वाले सर्वे नंबर के संबंध में कोई लाभ लिया गया है तो उनको लौटाना होगा।

(ii) क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स टैप सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट द्वारा श्रीपेरंबदूर में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1.214 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए, जिससे उनके प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल 20.243 हेक्टेयर से बढ़कर 21.457 हेक्टेयर हो जाएगा, मैसर्स टैप सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट द्वारा श्रीपेरंबदूर में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक है, के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अतिरिक्त भूमि पहले से अधिसूचित एसईजेड के अंदर होनी चाहिए।

(iii) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से सर्वे नंबर 160/7सी1 के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स वेलंकनी टेक्नोलाजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से 0.206397 हेक्टेयर के सर्वे नंबर 160/7सी1 के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स वेलंकनी टेक्नोलाजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा।

(iv) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में उनके आईटी / आईटीईएस एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 0.2201 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.0163 हेक्टेयर हो जाएगा।

(v) जिला गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जिला गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अधिसूचित क्षेत्रफल में 20.4415 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 135.2733 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vi) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स जय माता दी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने अतिरिक्त भूमि की सन्निकटता के मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

मद संख्या 7 : रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेक्टर को आईटी / आईटीईएस एसईजेड से बदलकर बायोटेक एसईजेड करने के लिए मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेक्टर को आईटी / आईटीईएस एसईजेड से बदलकर बायोटेक एसईजेड करने के लिए मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 8 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	आवासीय यूनिटें	1,24,342 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 1356 यूनिटें
2.	शॉपिंग आर्केड	8000 वर्गमीटर
3.	क्लब / स्वीमिंग पूल, हेल्थ क्लब	6000 वर्गमीटर
4.	कंवेंशल हाल (100 सीटें)	2000 वर्गमीटर
5.	बैंक, एटीएम स्पेस, कूरियर, कार्यालय स्थान	3000 वर्गमीटर
6.	क्रेच / नर्सरी स्कूल	750 वर्गमीटर
7.	स्कूल	1250 वर्गमीटर
8.	कम्युनिटी सेंटर	1000 वर्गमीटर
9.	10 बेड के साथ पोली क्लीनिक	1000 वर्गमीटर
10	सर्विस अपार्टमेंट / गेस्ट हाउस (50 कमरे)	5000 वर्गमीटर

मल्टीप्लेक्स के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

(ii) सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	**मद**	**मात्रा**

1.	निर्मित कार्यालय स्थान	8,31,690 वर्गमीटर

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	**सामाजिक अवसंरचना का प्रकार**	**यूनिटों की संख्या**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	250	15,000 वर्गमीटर

जहां तक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में शॉपिंग आर्केड / रिटेल / एंटरटेनमेंट / कार्यालय स्थान के अनुमोदन का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक से प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रमाप एवं मात्रा का सटीक ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया। कोई मल्टीप्लेक्स अनुमत नहीं होगा।

(iii) तुमुकुंटा एवं गोल्लापुरम गांव, हिंदूपुर (एम), जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में अपैरल पार्क सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**मद**	**क्षेत्रफल**
1.	प्रशासन भवन	6000 वर्गमीटर
2.	अपैरल और टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्र	6000 वर्गमीटर
3.	सामान्य निस्सारी शोधन संयंत्र	40,000 वर्गमीटर
4.	पावर सब स्टेशन	65.29 मेगावाट

(iv) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

(v) 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स शिवाजी मार्ग प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : शेष आस्थगित कर दिया गया क्योंकि कोई मात्रा प्रदान नहीं की गई थी।

क्र. सं.	**इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं**
1.	सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइनें तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज शोधन संयंत्र - डिफाल्ट गतिविधि होने के कारण
2.	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3.	डीजी सेट - 24 मेगावाट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत उत्पादन

(vi) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**मद**	**क्षेत्रफल**
1.	फूड कोर्ट	1,25,000 वर्गफीट
2.	मेडिकल सेंटर	2000 वर्गफीट
3.	रिटेल स्पेस	4000 वर्गफीट
4.	जिम / इंडोर सुविधा	10000 वर्गफीट
5.	क्रेच	2000 वर्गफीट

(vii) बादशापुर गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(viii) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एडिक्राप मुंद्रा एसईजेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इन अधिकृत गतिविधियों से मौजूदा पोर्ट एरिया को बाहर करने के अधीन नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**मद**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**

1.	रेजीडेंशियल यूनिट्स	6,40,000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 6000 यूनिटें
2.	नर्सरी / प्राइमरी / सेकंडरी स्कूल	1,50,000
3.	रिटेल आउटलेट, शॉपिंग आर्केड, सब्जी स्टोर, शॉपिंग की छोटी सुविधाएं	20,000
4.	मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि क्लब हाउस, जिम, इंडोर / आउटडोर गेम्स की सुविधाएं	20,000
5.	क्रेच, रेस्टोरेंट / कैंटीन, कैफेटीरिया, कम्युनिटी सेंटर, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल, रेस्ट रूम	25,000
6	स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं, 10 बिस्तर वाला अस्पताल	2000
7	स्टूडियो टाइप आवास	10,000
8	पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डाक एवं तार घर, बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक कार्यालय	15,000
9.	टेलीवीजन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाई-फाई और/या वाई-मैक्स सर्विस सहित दूरसंचार एवं अन्य संचार की सुविधाएं	-
10	वर्षा जल संचयन, पार्क	-
11.	मल्टी लेवल कार पार्किंग, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली सहित निवासियों के लिए कार पार्किंग की सुविधाएं	2500
12	सुरक्षा चौकी और कस्टम कार्यालय	1500

(ix) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंफार्मेशन टेक्नोलाजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**मद**	**क्षेत्रफल**
1.	सर्विस अपार्टमेंट	10000 वर्गमीटर
2.	मल्टीलेवल पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	34,838 वर्गमीटर
3.	बस बे	-

(x) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि**	**मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	आवासीय अपार्टमेंट	2,00,000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 1250 यूनिटें
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15,000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 250 यूनिटें
3.	व्यवसाय केन्द्र	5,000
5.	रिटेल	10,000
6.	क्लब, जिम आदि	5,000
8.	फूड कोर्ट	5,000
9.	वाणिज्यिक	5,000
11.	मनोरंजन (पार्क आदि)	10,000 (केवल खुला स्थान। कोई मल्टीप्लेक्स अनुमत नहीं है)

(xi) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 70 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र वाली कुल 500 यूनिटों के सर्विस अपार्टमेंट को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इसमें सर्विस अपार्टमेंट के लिए 10,000 वर्गमीटर के लिए पिछला अनुमोदन शामिल है।

(xii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेवा क्षेत्र एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालन के लिए मैसर्स एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**मद**	**क्षेत्रफल**
1.	शॉपिंग अर्काडे / रिटेल स्पेस	22,000 वर्गमीटर

2.	आवास	प्रति मकान 150 वर्गमीटर की औसत दर से 5000 यूनिटें (कुल : 7,50,000 वर्गमीटर)
3.	क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ 25 बिस्तर वाला अस्पताल	5,000 वर्गमीटर
4.	प्राइमरी / नर्सरी / सेकंडरी स्कूल	10,000 वर्गमीटर
5.	सर्विस अपार्टमेंट	7000 वर्गमीटर (100 वर्गमीटर की 70 यूनिटें)
6.	कान्फ्रेंस हाल	5,000 वर्गमीटर
7.	क्लब हाउस / रेस्टोरेंट / इंडोर / आउटडोर गेम्स / जिम / मल्टीप्लेक्स को छोड़कर एंटरटेनमेंट स्पेस	10,000 वर्गमीटर
8.	मल्टी लेवल कार पार्किंग	2,50,000 वर्गमीटर

(xiii) राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : शेष आस्थगित कर दिया गया क्योंकि कोई मात्रा प्रदान नहीं की गई थी।

क्र. सं.	**इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं**
1.	सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, सीवेज और कचरा निस्तारण के लिए पाइप लाइनें तथा अन्य आवश्यक अवसंरचना, सीवेज शोधन संयंत्र - डिफाल्ट गतिविधि होने के कारण
2.	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3.	डीजी सेट - 24 मेगावाट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत उत्पादन

(xiv) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनिटेक हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	मद	मात्रा
1.	मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग सहित पार्किंग	-
2.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	10.575 मेगावाट तथा ईंधन भंडारण की सुविधाएं (टैंक की क्षमता - 80 केएल ईंधन)
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम आदि सहित मनोरंजन की सुविधाएं	750 वर्गमीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	2250 वर्गमीटर
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	2220 वर्गमीटर
6.	शॉपिंग अर्कांडे और/या रिटेल स्पेस	300 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	1500 वर्गमीटर
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	600 वर्गमीटर
9.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	600 वर्गमीटर
10.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां	-

मद संख्या 8 : दमताल, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मेसर्स डीएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का प्रस्ताव

राजस्व विभाग ने बताया कि सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि समाप्त हो गई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को नया आवेदन करने की सलाह दी।

मद संख्या 9 : सह विकासक के लिए अनुरोध

सह विकासक के लिए अनुरोधों पर विचार करते समय सीबीडीटी के प्रतिनिधियों ने दीर्घ अवधि के पट्टों से आय के कर संव्यवहार के मुद्दों को उठाया। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए खास नियमों एवं शर्तों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पैमेंट /

प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त आपत्ति के अधीन सह विकासकों के निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) कुसुमागिरि, कक्कानाड गांव, एर्नाकुलम, केरल में इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कुसुमागिरि, कक्कानाड गांव, एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इंफो पार्क, केरल द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस बीपीओ लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस बीपीओ लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 59.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) अयीरूपा एवं काझाकोट्टम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में मैसर्स किनफ्रा द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित एनिमेशन और गेमिंग एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टूंज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अयीरूपा एवं काझाकोट्टम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में मैसर्स किनफ्रा द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित एनिमेशन और गेमिंग एसईजेड में 2.428

हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स टूंज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी द्वारा फर्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए विकसित किए जाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित एनिमेशन और गेमिंग एसईजेड में 26.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलीटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलीटीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में मैसर्स परपेचुअल इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीन स्टार इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में मैसर्स परपेचुअल इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीन स्टार इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स सिपकॉट द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मोजेर बेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स सिपकॉट द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित

क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 38.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स मोजेर बेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

सह विकासक के लिए आस्थगित प्रस्ताव

राजस्व विभाग ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी द्वारा नागपुर में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में भूमि की कथित बिक्री के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अनुमोदन बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर सख्त रवैया अपनाया। अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि किसी भी स्थिति में एसईजेड को रियल एस्टेट की गतिविधि के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के किसी उल्लंघन के लिए एसईजेड अधिनियम के अनुसार दांडिक कार्रवाई की जाएगी। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि संपूर्ण मामले की जांच होने तक उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासकों के निम्नलिखित प्रस्ताव आस्थगित किए जाएं :

(i) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इकोवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रीटाक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आसरा रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स बिल्डिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक के लिए अन्य प्रस्ताव

i) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि विकास करार फोरम प्रोजेक्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और विकासक के बीच था जबकि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके बाद, 4 जून 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स फोरम प्रोजेक्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की क्योंकि विकासक ने इस नाम में आवेदन प्रस्तुत किया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि विकासक ने मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध प्रस्तुत किया है। अनुमोदन बोर्ड की पिछली राय के अनुसार पाया गया कि सह विकासक का दर्जा केवल उसी संस्था को प्रदान किया जा सकता है जिसने विकासक के साथ सह विकासक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान अनुरोध को मंजूरी प्रदान न करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 10 : जामनगर में बहु उत्पाद एसईजेड को पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स एस्सार जामनगर एसईजेड (डवलपर) लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने टिप्पणी की कि स्पष्ट नहीं है कि किस तरह इस प्रस्ताव को पहले औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया, जब भूमि विकासक के कब्जे में नहीं थी। विचार विमर्श के बाद मामले की जांच पड़ताल करने तथा विकासक द्वारा तथ्यों के मिथ्या निरूपण के मामले में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विकासक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने भी अभी तक सुरक्षा सहमति प्रदान नहीं की है।

मद संख्या 11 : एसईजेड की प्रकृति में त्रुटि के सुधार के लिए मैसर्स ओवल डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दक्षिण 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में मैसर्स ओवल डवलपर प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड की अधिसूचना में त्रुटि को शब्द 'आईटी / आईटीईएस' शामिल करके ठीक किया गया है।

मद संख्या 12 : कच्छ जिला, गुजरात में वस्त्र एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सेक्टर में परिवर्तन के लिए मैसर्स वूलस्पून अंजार एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर वस्त्र एवं गारमेंट से बदलकर इंजीनियरिंग किया गया है।

मद संख्या 13 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया। पाया गया कि मंजूरी पत्र 16 जून 2006 को जारी किया गया था। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक मार्च 2009 में भौतिक प्रगति के ब्यौरों के साथ औचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(ii) इंदौर, मध्य प्रदेश में एमपी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध

दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया। पाया गया कि मंजूरी पत्र 22 जून, 2006 को जारी किया गया था। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक मार्च 2009 में भौतिक प्रगति के ब्यौरों के साथ औचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

मद संख्या 14 : तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड पर विचार करने मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

टिडको के एमडी द्वारा सूचित किया गया कि संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड को 1020 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है तथा संशोधित फार्म ए दाखिल किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। अनुमोदन बोर्ड ने तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 1020 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 15 : चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है तथा नया फार्म ए दाखिल किया गया है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेन्नई, तमिलनाडु में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि समान परियोजना के लिए टिडको को प्रदान किया गया पिछला अनुमोदन निरस्त समझा जाए।

मद संख्या 16 : मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वस्त्र एवं अपैरल के लिए विकसित किए जाने लिए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक यूनिट अर्थात मैसर्स पायनियर एलास्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए विशाखापट्टनम एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 17 : कांडला एसईजेड, गांधीधाम में विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कांडला एसईजेड, गांधीधाम में प्रिसीजन इंजीनियरिंग, कंपोनेंट के लिए कच्चे माल के रूप में ब्रास स्क्रैप के आयात के लिए विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 18 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में नोएडा एसईजेड की यूनिटों को प्रदान किए गए विस्तार की तर्ज पर मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के मंजूरी पत्र की वैधता अवधि एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 19 : मंजूरी पत्र (एलओपी) के निरसन के विरुद्ध मैसर्स क्वेस्ट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की अपील

विकास आयुक्त ने सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश पारित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस अनुरोध के साथ मामला आस्थगित कर दिया गया कि विकास आयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे और इस मामले में सरकार के हित का उपयुक्त ढंग से बचाव करेंगे।

मद संख्या 20 : मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स एमईपीजेड एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।